## <u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्टेट् प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आपराधिक प्र.क.: 1023 / 2014</u> संस्थित दि: 03 / 11 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — अभियोर्ग

## विरुद

रितेश कुमार पिता जोहरीसिंह मेरावी, उम्र 22 साल, जाति गोंड, निवासी ग्राम डोरली चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — — — आरोपी

## <u> –:: उर्पापण – आदेश ::</u>–

## <u>(आज दिनांक 17/11/2014 को उपार्पित किया गया)</u>

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा मे है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.08.2014 को सुकरतीनबाई ने इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उसकी बहन प्रमिला सायिकल से गांव में गई थी वापस नहीं आई। दिनांक 16.08.2014 को गांव के लोगों ने बताया कि डोरली सिंघनपुरी के बीच एक लड़की की लाश पड़ी है, जिस कुचला हुआ है, लेडीस सायिकल पड़ी हुई है। जाकर देखा तो उसकी बहन प्रमिला का सिर पत्थर से कुचला हुआ था, पेट व गर्दन में चाकू के निशान थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी बहन प्रमिला को चाकू मारकर सिर कुचल कर हत्या की है। फरियादी की रिपोर्ट पर से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 104/14 अन्तर्गत धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में पाया गया कि आरोपी से प्रेम संबंध के चलते प्रमिला किसी अन्य लड़के से विवाह करना चाहती थी इस शंका के आधार पर आरोपी ने योजनाबद्ध तरीखे से सिर पत्थर से कुचलकर प्रमिला की हत्या की। आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से चाकू जप्त कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 201 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया 👢
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 201 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराओं में से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 का अपराध माननीय सन्न न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सन्न न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।
- (06) आरोपी को धारा 207 द०प्र०सं० के अनुसार अभियोग—पत्र की नकलें दी गई।,
- (07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।
- (08) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरूध्द होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 02.12. 2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।
- (09) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नायब नाजिर, बैहर की अभिरक्षा में होने से उक्त संपत्ति माननीय न्यायालय के समक्ष आगामी नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत करने हेतु नायब नाजिर, बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट